



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1937 (श10)  
(सं0 पटना 916) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2015

Je l d k/ku foHkkx

अधिसूचनाएं  
16 tgykbz 2015

एस0ओ0 195 दिनांक 10 अगस्त 2015—विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों/कारखानों के निबंधन/लाईसेन्स/सर्टिफिकेट/नवीकरण हेतु प्रावधान किये गये हैं। उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निष्पादन हेतु पूर्व से समय सीमा निर्धारित नहीं है। चूंकि आवेदन दिये जाने हेतु ऑन-लाईन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

अतः आवेदन पत्रों के त्वरित निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित श्रम अधिनियमों के लिए समय सीमा निर्धारित किये जाने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया है।

Ø0 l d	foHkklu Je vf/kfu; eka , oa l Ec) fu; e dk uke	fuc/kku @ykbz bl grq fu/kkjr l e; l hek
1	बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की धारा-6 एवं नियम 3 (1) के अन्तर्गत प्राप्त निबंधन आवेदन पत्रों का निष्पादन।	15 कार्य दिवस
2	वाष्पित्र अधिनियम, 1923 की धारा-7 एवं 8 के अन्तर्गत सर्टिफिकेट/नवीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निष्पादन।	15 कार्य दिवस
3	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-6 एवं बिहार कारखाना नियमावली के नियम 4, 5, 6, 7 एवं 8 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निष्पादन।	15 कार्य दिवस
4	ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 एवं बिहार ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली 1972 की धारा-12 एवं नियम 21 के अन्तर्गत लाइसेंस संबंधित आवेदन का निष्पादन।	15 कार्य दिवस
5	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली 2005 की धारा-12 एवं नियम 266 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों का निबंधन संबंधित आवेदन का निष्पादन।	15 कार्य दिवस

6	मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 एवं बिहार मोटर परिवहन कर्मचारी नियमावली, 1962 की धारा-3 एवं नियम 4 एवं 6 के अन्तर्गत निबंधन संबंधित आवेदन का निष्पादन।	15 कार्य दिवस
7	बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी अधिनियम, 1966 की धारा-4 एवं नियम 5 के अन्तर्गत लाईसेन्स संबंधित आवेदन का निष्पादन।	15 कार्य दिवस

समय सीमा की गणना ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रत्येक कार्य दिवस से की जाएगी। आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण / निर्धारित शुल्क से कम होने अथवा किन्हीं अन्य कारण से आवेदन अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में निबंधन एवं लाइसेंसिंग पदाधिकारी समय सीमा के अन्तर्गत सकारण सूचना आवेदक को उपलब्ध करायेंगे।

[सं० 01 / (विविध)-10-02 / 2015श्र०सं० 2073]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस० सिद्धार्थ,

सरकार के सचिव।

16 जुलाई 2015

एस०ओ० 196, एस०ओ० 195, दिनांक 10 अगस्त 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

[सं० 01 / (विविध)-10-02 / 2015श्र०सं० 2073]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस० सिद्धार्थ,

सरकार के सचिव।

The 16<sup>th</sup> July 2015

S.O. 195 date 10<sup>th</sup> August 2015—The provisions have been made for registration and renewal of establishments / factories under different labour laws, but the time limit was not fixed earlier for the disposal of applications under these acts.

Since the system of submitting application for registration / renewal has been started online for the speedy disposal of the application, an administrative decision has been taken to fix the time limit for disposal under various labour laws, as below:-

S.No	Name of the Acts & Rules	Time fixed for registration/ license
1	Disposal of applications for registration under Bihar Shops & Establishment Act, 1953 sec 06, Rule 3(1) of the BSE Rules 1955	15 working days
2	Disposal of applications for certificate / renewal under Sec 07 & 08 of Boiler Act, 1923	15 working days
3	Disposal of application under Sec 06 of Factories Act, 1948 and Rules 4,5,6,7,8 of Bihar Factories Rules 1950	15 working days
4	Disposal of application under sec 12 of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 and Rule 21 of Bihar Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1972	15 working days
5	Disposal of application for registration of Construction Workers under sec 12 of Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1996 and Rule 266 of Bihar Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Rule 2005.	15 working days

6	Disposal of application for registration under Sec 3 of Motor Transport Workers Act, 1961 and Rule 4, 6 of Bihar Motor Workers Rules, 1962	15 working days
7	Disposal of application under section 4, (Rule 5) of Bidi & Cigar Workers Act, 1966	15 working days

Time limit will be calculated after the receipt of online application based on working days. In case of incorrect / incomplete or less fee, or due to other reasons if the application is rejected, the registering / licensing officer will communicate the same to the applicant in prescribed time.

[No. 01 / (विविध)-10-02 / 2015असं 2073]

By order of the Governor of Bihar,

S.SIDDHARTH,

*Secretary to government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 916-572+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>